न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 78/2011

उनवान

1 गोपाल पिता हरजी चमार , मृतक के स्थान पर
1/1 सुखा पिता गोपाल चमार, निवासी मादेडा, हाल मुकाम सग्रांमगढ तहसील आसीन्द ।

–वादी

बनाम

1 नानू पिता देवा चमार , निवासी मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
2 गुलाब पिता देवा चमार, निवासी मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
3 रामेश्वर पिता बरदा चमार, नि. मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
4 जगदीश पिता बरदा चमार, नि. मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
5 मदन पिता बरदा चमार, निवासी मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
6 रामूदेवी पत्नि बरदा चमार, नि. मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
7 प्रेम पुत्री बरदा चमार, निवासी मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
8 घीसा पिता हीरा चमार, निवासी मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
9 लादू पिता हीरा चमार, निवासी मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
10 उगमा पिता हीरा चमार, निवासी मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
11 दयाराम पिता सुवा चमार, नि. मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
12 देवीलाल पिता सुवा चमार, नि. मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
13 गोपाल पिता सुवा चमार, निवासी मीठिया का खेडा, तहसील हुरडा ।
14 नानी पत्नि रामचन्द्र , निवासी मादेडा, तहसील हुरडा ।
15 गोविन्द पिता रामचन्द्र, चमार, निवासी मोदडा, तहसील हुरडा ।
16 सीता पुत्री रामचन्द्र, निवासी मोदडा, तहसील हुरडा ।
17 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील हुरडा ।
18 श्रीमति हगामी पुत्री हरजी पत्नि धनराज चमार, निवासी मादेडा हाल मुकाम झीपियां तहसील भिनाय, जिला– अजमेर ।
19 श्रीमति गलकू पुत्री हरजी पत्नि सुखदेव चमार निवासी मादेडा हाल मुकाम सरदारपुरा तहसील शाहपुरा जिला– भीलवाडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्रीमति निर्मला जैन — वकील वादी
सुश्री रेखा चौहान — वकील प्रतिवादी–1

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 92 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 01.06.2018

Scanned by CamScanner

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम मादेडा, पटवार क्षैत्र तस्वारिया में वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 14 से 16 की पुश्तैनी व कब्जेकाश्त की आराजीयात जिसका खाता संख्या– 148 की खसरा नम्बर– 302, 330, 331, 379, किता 4 रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा स्थित होकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण 1 से लगायत 13 के नाम खातेदारी से दर्ज है ।

2– उक्त खसरा नम्बर– 302, 330, 331, 379 के साबिक खसरा नम्बर– कमशः 181, 157/1, 133 व 223 है जो कि खसरा निम्न मिलान सम्वत् 2022 के अनुसार हजारी पिता लालू चमार के नाम दर्ज रिकार्ड थी ।

3– साबिक जमावन्दी सम्वत् 2022 से 2025 के खाता संख्या– 222 में भी साबिक खसरा नम्बर– 223 व 133 हजारी , हरजी पिता लालु चमार के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो इनतकाल नम्बर– 71 से विरासत से गोपाल पिता हरजी के नाम दर्ज हुई तथा साबिक खसरा नम्बर– 181 भू–प्रबन्ध विभाग के फई इख्तलाफ की कम संख्या– 52 के अनुसार हजारी के नाम दर्ज हुई तथा इसी आधार पर हजारी पिता लालू चमार के नाम पर्चा सम्वत् 2028 से 2047 जारी हुआ जिसके अनुसार खसरा नम्बर– 302, 330, 331, 379 कुल किता 4 रकबा 27 बीघा 07 बिस्वा हजारी पिता लालू के नाम दर्ज रिकार्ड थी । परन्तु राजस्व विभाग द्वारा साबिक जमाबन्दी सम्तव् 2032 – 2035 तैयार करते वक्त गलती से उक्त आराजी नम्बर– 302, 330, 331 , 379 देवा, सुवा, हीरा, बरदा पिता गणेश चमार के नाम दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजीयात पर वादी व प्रतिवादी संख्या– 14 15 16 का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 14 से 16 का ही उक्त विवादित आराजीयात पर कब्जाकाश्त है ।

4 सजरे की रुह के अनुसार वर्तमान खाता संख्या– 148 की आराजीयात में हजारी व उसकी पत्नि के नाऔलाद फौत होने से 1/2 हक हिस्सा वादी गोपाल पिता हरजी का प्रतिवादी संख्या– 14 से 16 प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा निहित होकर माफिक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 14 से 16 उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड खातेदारी हक से दर्ज कराने के लिये प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 13 के विरुद्ध खातेदारीं हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ।

5 प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 13 उक्त आराजीयात अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर दिगर को अन्तरित व उसका पंजीयन कराने पर आमादा है व बावजूद तकाजा प्रतिवादीगण 1 से लगायत 13 ने सहमति के आधार पर संशोधन करा वादी एवं प्रतिवादी 14 से 16 के नाम खाते मे दर्ज कराने से दिनांक 10.03.2011 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण 1 से लगायत 13 का कृत्य अवैध एवं नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरीत है जिससे रुके रहने बावत स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादी को ऐसी असहनीय क्षति होगी जिसकी

यक कलेक्टर
). O.) गुलाबपुरा
ला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

क्षतिपूर्ति कदापि सम्भव नही है ।

6 वादी को बिनाय मुखास्मत दावा 10.03.2011 से उपर वर्णित कारणों से उत्पन्न हुई और हो रही है ।

7 अन्त में अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड खाता संख्या– 148 में प्रतिवादी 1 से लगायत 13 का नाम हटाया जाकर वादी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या– 14 15 व 16 प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा अनुसार खातेदारी हक की घोषणात्मक डिकी सादीर फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाई जावें । बहकवादी खिलाफ प्रतिवादी 1 से लगायत 13 स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की फरमाई जावें कि वो स्वयं या अन्य द्वारा उक्त आराजीयात को दिगर को अन्तरित व पंजीयन करने कराने से रुके रहें यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण अपने नाजायज कृत्य में सफल हो जावें तो पुनः उनके खर्चे से वाद दायरी की स्थिति लाई जावें ।

8 प्रस्तुत वाद बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 से 13 की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 30.04.2012 को जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादग्रसत आराजीयात प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है । वादी गोपाल की मृत्यु होने के बाद उसके कोई विधिक वारिसान नही है और न ही गोपाल के पुत्र सुखदेव हुआ है । वादी गोपाल बिना विधिक वारिस के फौत हुआ है जिससे सुखदेव द्वारा अपने आप को वादी पुत्र बताया है जो गलत है जिससे वादी का कानूनन अधिकार समाप्त हो चूका है । सुखेदव वादी गोपाल का पुत्र नही है बल्कि सुखेदव संग्रामगढ के श्रवण लाल का पुत्र है और सुखदेव संग्रामगढ में निवासी होकर सुखदेव पिता श्रवण लाल के नाम से बी.एल. कार्ड बना रखा है , जो बी.एफ. परिवार सर्वे फार्म कमांक 860 546 पर दर्ज चला आ रहा है । सुखदेव श्रवण का पुत्र होने से इस वाद में गोपाल का फर्जी पुत्र होने से कायम मुकाम बना है जिससे वादी गोपाल का वाद विथ कॉस्ट खारिज योग्य है । विवादित आराजीयात पर वादी का कभी भी कब्जा नही रहा है और न ही वादी द्वारा उक्त आराजीयात का कभी लगान जमा कराया है जिससे कब्जे के अभाव में दावा वादी खारिज योग्य है । प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम का जवाब वकील वादी के द्वारा दिनांक 19.11.2012 को प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 14 नानी ने दिनांक 31.05.2011 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादी का वाद स्वीकार किया जाना जाहिर किया है । प्रतिवादी संख्या– 18 19 20 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 19.11.2012 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये । प्रतिवादी संख्या– 17 पैरोकारराज के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया ।

यक कलेक्टर
O. O.) गुलाबपुरा
ला-भीलवाड़ा

9 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट तस्वारियॉ पर प्रस्तुत हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस वूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की

Scanned by CamScanner

बहस सूनी गई । वकील उभयपक्ष की सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या– 20 का नाम हटाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सूनी गई ।

वक्त बहस वकील वादी अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये । अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावें । वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या– 20 का नाम वाद शीर्षक से हटाया जाने के आदेश दिये जाते है ।

10 वकील वादी ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है । विवादित भूमि के साबिक आराजी नम्बर– 181 , 157/1, 133, 223 है जो हजारी पुत्र लालु चमार के नाम दर्ज थी । जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 में आराजी नम्बर– 223, 133, हजारी, हरजी पिता लालू चमार के नाम दर्ज थी । जो नामान्तकरण संख्या– 71 विरासत से गोपाल पिता हरजी के नाम पर तथा आराजी नम्बर– 181 फर्द इख्तलाफ संख्या– 52 से हजारी के नाम दर्ज हुई है। राजस्व विभाग द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 तैयार करते समय गलती से आराजी नम्बर– 302, 330, 331, 379 देवा, सुवा, हरदा , बरदा पिता गणेश के नाम दर्ज कर दी । प्रतिवादी संख्या– 1 से 13 वादग्रस्त भूमि उनके नाम दर्ज होने से आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । अन्त में कथन किया कि विवादित आराजीयात को प्रतिवादी संख्या– 1 से 13 के नाम से हटाया जाकर वादी को 1/2 व प्रतिवादी संख्या– 14 15 16 को 1/6 हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें ।

11 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि डाक्यूमेन्ट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावें ।

12 मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है –

13 वादी ने अपने वादपत्र के पेरा संख्या– 2 में हाल आराजी नम्बर– – 302, 330, 331, 379 के साबिक नम्बर– 181, 157/1, 133, 223 होना बताया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 मौजा मादेडा पटवार हल्का तस्वारियों के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 181 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि बख्तावर पिता सूरजमल माली, के नाम से दर्ज थी । जिसके नये नम्बर– 302 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा बनाया जाकर भू– प्रबन्ध के कर्मचारियों ने फर्द इख्तलाफ संख्या– 52 से हजारी पिता लालू के नाम नामान्तकरण किया जाना प्रकट आया है । सेटलमेन्ट की उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध किया जाना प्रकट है क्योंकि इख्तलाफ संख्या– 52 में सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने विशेष विवरण में लिखा है कि "_____ बख्तावर मर चूका है , उसके कोई जायन्दा लडका नही है इस जमीन पर हजारी का 30 साल से कब्जा है इसलिये हजारी का नाम दर्ज

क कलेक्टर
O.) गुलाबपुरा
ा-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

होना उचित है ——" दूसरी तरीफ इसी इख्तलाफ पर बख्तारवर की अन्य आराजीयात नम्बर– 180 के लिये विशेष विवरण में अंकित किया है कि "—— बख्तावर पिता सूरजमल जिसका वारिस गुलाब, कूका, पिता जौरा , श्रीकिशन, हरदेव, उदा, शम्भू पिता प्यारा है——" होना बता कर नामान्तकरण निर्णित किया जाना भू–प्रबन्ध विभाग के इख्तलाफ से प्रकट आया है । ऐसी स्थिति में सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा की गई नामान्तकरण की कार्यवाही विधि विरुद्ध व मिला भगती से की गई कार्यवाही है । ऐसी कार्यवाही से वादी आराजी नम्बर– 302 रकबा 04 बीघा 08 विस्वा भूमि के लिये हक अधिकारों की घोषणा करवानें के अधिकारी नही है ।

14 पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 मौजा मादेडा के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 223 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा , 157/4 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा , 133 रकबा 01 बीघा भूमि हजारी, हरजी पुत्र लालु चमार के नाम दर्ज थी तथा इन्तकाल नम्बर– 71से हरजी के बजाय गोपाल पिता हरजी के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । सेटलमेन्ट के खसरा सम्वत् 2022 के अनुसार उक्त विवादित आराजी नम्बर– 157/4 के नये नम्बर– 330 आराजी नम्बर– 133 के नये नम्बर– 331, आराजी नम्बर– 223 के नये नम्बर– 379 बनाये जाना स्पष्ट हुआ है । चुँकि सेटलमेन्ट प्रारम्भ होने से पूर्व अंतिम जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 थी, जिसमें विवादित उक्त आराजीयात के हजारी पिता लालु व गोपाल पिता हरजी 1/2, 1/2 हक हिस्से से खातेदार थे, सेटलमेन्ट समाप्ति पर हाल खसरा नम्बर– 330, 331, 379, का पर्चा लगान हजारी पिता लालु चमार के नाम जारी किया गया । उसके बाद जो प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 की तेयार की गई जिसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर– 330, 331, 379 अन्य आराजीयात के साथ देवा, सुवा, हीरा, बरदा, पिता गणेश साकिन देह के नाम दर्ज किया जाना प्रकट आया है जबकि साबिक रिकार्ड के अनुसार हजारी चमार के नाम दर्ज होनी चाहिये थी।

पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबन्दी सम्वत् 2064– 2067 मौजा मादेडा पटवार हल्का तस्वारियॉ तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर– 330, 331, 379 नानू, गुलाब, पिता देवा, घीसा, लादु , उगमा, पिता हीरा दयाराम देवीलाल, गोपाल पिता सुवा, रामेश्वर, जगदीश, मदन, पिता बरदा , रामूदेवी बेवा बरदा, प्रेम पुत्री बरदा चमार के नाम दर्ज रिकार्ड होने से दावा वादी आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है ।

–: निर्णय :–

दावा वादी आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर मौजा मादेडा, पटवार हल्का तस्वारियॉ तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 330, 331, 379 किता 3 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा भूमि के लिये सुखा पिता गोपाल चमार 1/2, नानी पत्नि रामचन्द्र , गोविन्द पिता रामचन्द्र, सीता पुत्री रामचन्द्र चमार 1/2 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है । तद्नुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली

कलेक्टर
गुलाबपुरा
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

सुनकर फैसला होकर दाखिल दफ्तर करें निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को खुली अदालत कैम्प कोर्ट तस्वीरियो पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner